"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2013—पौष 9, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 (पौष 9, शक 1935)

अधिसूचना

क्रमांक -12070/वि. स./विधान/2013.— राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है -

"संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे.

अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरांत निर्वाचित अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तथा सत्र की बैठक चल रही हो, तब ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अधीन सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा हो, को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 26 दिसम्बर, 2013

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़".

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.